न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2024(रा.अ.) (GCMS 2024/7)	12.01.2024	27.03.2024

अनवान

ललित सिंह पुत्र दुर्गा सिंह राजपुत उम्र 58 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मो. 9610392246)

अपीलार्थी

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 36 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती नेहासिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 40 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. श्रीमती नीतु कुंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 38 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. श्रीमती ललिता कुंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 64 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. महावीर सिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपुत उम्र 54 वर्ष निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

–:: अपील तहसीलदार साहब, बस्सी के निर्णय दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध अपील ::–

उपस्थिति :– लक्ष्मण सिंह सोलंकी — अपीलार्थी
बीएल पोखरना — प्रत्यर्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार बस्सी बमिसल कमांक 2023/6 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.05.2023 पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से एक आपसी पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को किया जो विधिवत स्टॉम्प खरीद कर किया। मूल पुरूष दुर्गासिंह जी के तीन पुत्र है। राजेन्द्रसिंह, ललितसिंह एवं महावीरसिंह। तीनों ने हस्ताक्षर कर आपसी पारिवारिक बंटवाडा वाके मौजा ग्राम बस्सी हल्का पटवार क्षेत्र बस्सी भूअभिलेख क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ राज. के खाता संख्या 800 के आराजी नंबर 3048 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3048/4533 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3048/4579 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3051 रकबा 0.26 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3052 रकबा 0.06 हैक्टेयर आराजी नंबर 3053 रकबा 0.25 हैक्टेयर आराजी नंबर 3066 रकबा 0.40 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3057 रकबा 0.58 हैक्टेयर आराजी नंबर 3061 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर के नये आराजी नम्बर 3052 मी. रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी 3056 रकबा 0.40 हैक्टेयर, आराजी नंबर 5015/3053 मी. रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नंबर 5017/3051 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी 3048 मी. रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी 5014/3053 मी. रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नंबर 5016/3051 मी. रकबा 0.15 हैक्टेयर, आराजी नंबर 5019/3057 रकबा 0.31 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3061 रकबा 0.38 हैक्टेयर आराजी नं. 5013/3053मी रकबा 0.0200 हैक्टेयर, एवं आराजी नंबर 5018/3057 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर का आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाडा किया जिसका प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर बस्सी में जो हमने पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 को किया उसी अनुरुप प्रार्थना–पत्र पेश कर हम तीनों भाईयों ने बंटवाडा चाहा लेकिन उस समय मात्र हस्ताक्षर करवा दिये और कहा की पटवारी एवं तहसीलदार ने 2–3 दिन में आपका बंटवाडा विधिवत हो जायेगा लेकिन दिनांक 17.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाडा नहीं कर बाद में बंटवाडा हमने आपस में बैठ कर लिखित में किया उस अनुरूप बंटवाडा नहीं हुआ इससे व्यथित होकर तहसीलदार बस्सी के निर्णय के विरुद्ध अपील पेश है। फर्द बंटवाड़ा में मौके पर अपीलार्थी के हिस्से में आराजी नंबर 3048 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3053 मी. रकबा 0.09 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3057 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर अपीलार्थी के बटवारे में रखा गया लेकिन तहसीलदार व हल्का पटवारी ने आराजी नंबर 3048 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 3057 रकबा 0.31 हैक्टेयर कर दी जब कि बटवाड़ा अनुसार आराजी नंबर 3057 में रकबा 0.48 हैक्टेयर दी जानी थी उसके स्थान पर मात्र 0.31 हैक्टेयर दे दी एवं आराजी नंबर 3053 मी. में अपीलार्थी को बटवारे में 0.12 हैक्टेयर दे दी जब कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बटवारा में मा. 0.09 हैक्टेयर दे दी इसी प्रकार आराजी नंबर 3051 में अपीलार्थी का कोई हिस्सा नहीं था फिर अपीलार्थी को 0.15 हैक्टेयर दे दी जब कि मेरे हिस्से में बटवाडे में जो प्रस्तावित था उस अनुसार बंटवाडा नहीं कर विद्वान तहसीलदार महोदय ने तकनीकी भूल की है। उक्त आदेश के बाद मेरे बड़े भाई राजेन्द्र सिंह 13.06.2023 को फौत हो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गये इसलिये उनके वारिसान प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 04 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया इसलिये इनको प्रत्यर्थीगण बनाया गया। उक्त जमीने बेश कीमती होकर मौके पर हमने जो बंटवाडा आपसी सहमति से पेश किया उसी अनुरुप काबिज कर रिकार्ड में गलत बंटवाडा कर दिया जो उसी अनुसार दर्ज हो गया। बटवाड़े से पहले का नक्शा था उसी पर पटवारी साहब ने दिनांक 17.05.2023 को हमारे हस्ताक्षर कराये जिसमें बटवाड़ा नहीं किया था और ना ही बटवाड़े के समय तहसीलदार एवं पटवारी ने मौके पर भौतिक सत्यापन ही नहीं किया और रिकार्ड में बटवाड़ा कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। यदि मौके पर भौतिक सत्यापन करते तो ये विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। बंटवाडा किया उस अनुरुप मेरी आराजीयात नंबर 5016/3051 रकबा 0.15 हैक्टेयर जिसमें रास्ता ही नहीं और पिछवाड़े दे दी आराजी नंबर 5014/3053 रकबा 0.12 हैक्टेयर में मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है और अब प्रत्यर्थीगण अपनी आराजीयात में होकर जाने ही नहीं देते है और मुख्य मार्ग पर प्रत्यथीगण की आराजीयात बटवाडे में आने से अपीलार्थी के हिस्से पिछवाड़ी जमीन आई जिससे कीमतों में भी बड़ा अन्तर है और समानता का बंटवाडा नहीं हुआ जिससे मुझ अपीलार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। जिन आराजीयात में मेरा हिस्सा ही नहीं है। आराजी नंबर 3051 में रकबा 0.15 हैक्टेयर जमीन दे दी जिससे प्रत्यर्थीगण के तो एक चक बन गया और मेरे भिन्–भिन्न जगह दे दी जिससे मुझे नुकसान हो रहा है। मेरे बटवाडे में आई वो जमीन तलाई के पास होकर बीड़ जमीन है और बंजर जमीन है जिससे मुझ अपीलार्थी की फसल भी नहीं होती है जब कि प्रत्यर्थीगण ने काश्त योग्य जमीन अपने हिस्से में रख ली जिससे मुझ अपीलार्थी को नुकसान कारित होगा। प्रत्यर्थीगण उक्त जमीन को विक्रय करने पर आमादा है और यदि विक्रय कर दी गई तो अपीलार्थी का अपील करना ही व्यर्थ हो जायेगा। उक्त बटवाडे की जानकारी दिनांक 20.12.2023 को हुई जब प्रत्यर्थीगण ने मौके पर विवाद किया तब राजस्व रेकार्ड की नकलें निकलवा कर अपील अन्दर अवधि पेश कर रहा हूं। चूंकि बटवाड़ा दिनांक 17.05.2023 का है इसलिये मियाद का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बस्सी का निर्णय दिनांक 17.05.2023 को अपास्त किया जावे एवं पारिवारिक बंटवाडा पुनः भौतिक सत्यापन कर विधिवत कब्जे अनुसार बटवाड़ा किया जावे।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से उनके अधिवक्ता दिनांक 05.03.2024 को हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 25.06.2019 को प्रत्यर्थीगण की और से जवाब अपील एवं जवाब मियाद प्रार्थना–पत्र पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार बस्सी के पत्रांक/भू0अ0/2024/88 दिनांक 30.01.2024 से न्यायालय तहसीलदार बस्सी मूल अभिलेख पत्रावली प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 19.03.2024 को अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रत्यर्थीगण ने जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 19.03.2024 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रकरण को बहस अपील हेतु रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब अपील में अपील के संबंध में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति सर्वप्रथम प्रारम्भिक आपत्ति पर सुना जाना आवश्यक है। अतः सर्वप्रथम उभयपक्षकारान को प्रारम्भिक आपत्ति सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस प्रारम्भिक आपत्ति में बताया कि

अपीलार्थी ने यह अपील आदेश 41 नियम 1, 2 जा.दी. के तहत प्रस्तुत की है जबकि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध उक्त आदेश 41 नियम 1, 2 जा.दी के तहत अपील किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। यह निर्णय अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के मध्य हुए आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडा की अपील है इस कारण सहमति के आधार पर हुए निर्णय के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। इस विधि बिन्दु पर भी अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया गया है कि आदेश 41 नियम 1 व 2 के प्रावधान अपील किये जाने के विधि अनुसार सामान्य प्रावधान है एवं इन्ही प्रावधानों के अध्यधीन किसी भी आदेश/डिक्री की अपील प्रस्तुत किया जाना विधि अनुसार प्रावधित किया गया है एवं उक्त आदेश तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित किया गया है जिसकी प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय प्राप्त है। इसके साथ ही पक्षकारान द्वारा तहसीलदार बस्सी के समक्ष आपसी पारिवारिक बंटवाडा अनुसार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया किन्तु उक्त आदेश आपसी पारिवारिक बंटवाडा अनुसार नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थी उक्त आदेश व्यथित है जिससे अपील प्रस्तुत की गई है जो कि न्यायालय में पोषणीय है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रारम्भिक आपत्ति समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रारम्भिक आपत्ति के बिन्दु को रिजर्व करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे प्रार्थी को मियाद अवधि की जानकारी नहीं होना रहा है। उक्त बटवाडे की जानकारी दिनांक 20.12.2023 को हुई जब विपक्षीगण ने मौके पर विवाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया तब राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवा कर अपील प्रार्थी की और से विहित अवधि में प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत की गई है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी को तहसीलदार साहब बस्सी के निर्णय दिनांक 17.05.2023 की निर्णय की दिनांक से ही जानकारी रही है, क्योंकि सहमति के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ललितसिंह किसान नहीं है वरन पढा लिखा होकर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी करता है। दिनांक 20.12.2023 को किसी प्रकार का कोई विवाद मौके पर हुआ ही नहीं तो दिनांक 20.12.2023 को जानकारी प्रथम बार होने का तथ्य पूर्णतः मिथ्या होकर मनगढन्त है। अपील लगभग 7 माह बाद बिना किसी उचित कारण को प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती में हुई देरी का उचित कारण नहीं होने से मियाद काबिल कण्डौन नहीं है और अपील बेरून मियाद होने से खारीज योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तथा गुप्त रूप से प्रक्रिया संचालित की गई। विभाजन आदेश पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 के विपरित होकर एक तरफा मनमाना है व गुपचुप तरीके से जारी किया गया है इसलिए अपीलार्थी को इसकी पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी इसलिए जानकारी होते ही प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत की है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है। आवेदन देरी को क्षम्य कराने हेतु शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी का आवेदन मंजूर फरमा कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को विस्तारित (क्षम्य) किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से एक आपसी पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 को किया जो विधिवत स्टॉम्प खरीद कर किया। मूल पुरूष दुर्गासिंह जी के तीन पुत्र है। राजेन्द्रसिंह, ललितसिंह एवं महावीरसिंह। तीनों ने हस्ताक्षर कर आपसी पारिवारिक बंटवाडा वाके मौजा ग्राम बस्सी हल्का पटवार क्षेत्र बस्सी भूअभिलेख क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ राज. के खाता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 800 के कुल किता 9 कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर का आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाडा किया जिसका प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर बस्सी में जो हमने पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 को किया उसी अनुरुप प्रार्थना–पत्र पेश कर हम तीनों भाईयों ने बंटवाडा चाहा लेकिन उस समय मात्र हस्ताक्षर करवा दिये और कहा की पटवारी एवं तहसीलदार ने 2–3 दिन में आपका बंटवाडा विधिवत हो जायेगा लेकिन दिनांक 17.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाडा नहीं कर बाद में बंटवाडा हमने आपस में बैठ कर लिखित में किया उस अनुरूप बंटवाडा नहीं हुआ इससे व्यथित होकर तहसीलदार बस्सी के निर्णय के विरुद्ध अपील पेश है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस अपील में बताया कि

आपसी बंटवाडा अपीलार्थी की स्वैच्छिक स्वीकृति व उपस्थिति के आधार पर हुआ है। बंटवाडा की सहमति की लिखित पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर मौजुद है, आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाडा किया गया है। इस तथ्य को अपील में स्वंय अपीलार्थी ने भी स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में जो आक्षेप लगाये गये है वे गलत होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार बस्सी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई तकनीकी भूल नहीं की है। राजेन्द्र सिंह की बाद में मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के नाम पर जो नामान्तरण हुआ है वह विरासत के आधार पर वैद्य रूप से हुआ है। मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाकर विधि अनुसार सारी स्थिति के मध्य नजर रखते हुए सहमति से पारिवारिक बंटवाडा हुआ है, जिसे निरस्त कराने का कोई उचित आधार नहीं है और जो आधार अपीलार्थी ने वर्णित किया है वे सभी गलत है। अच्छी व बुरी जमीन का ध्यान रखते हुए बंटवाडा किया गया है और वैसे भी आपसी सहमति के आधार पर पारिवारिक बंटवाडा को अपील में चुनौति देने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं है। अतः प्रत्युत्तर स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी सव्यय निरस्त फरमाई जावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस अपील समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि

फर्द बंटवाड़ा में मौके पर अपीलार्थी के हिस्से में आराजी नंबर 3048 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3053 मी. रकबा 0.09 हैक्टेयर, आराजी नंबर 3057 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर अपीलार्थी के बटवारे में रखा गया लेकिन तहसीलदार व हल्का पटवारी ने आराजी नंबर 3048 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 3057 रकबा 0.31 हैक्टेयर कर दी जब कि बटवाड़ा अनुसार आराजी नंबर 3057 में रकबा 0.48 हैक्टेयर दी जानी थी उसके स्थान पर मात्र 0.31 हैक्टेयर दे दी एवं आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर 3053 मी. में अपीलार्थी को बटवारे में 0.12 हैक्टेयर दे दी जब कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बटवारा में मा. 0.09 हैक्टेयर दे दी इसी प्रकार आराजी नंबर 3051 में अपीलार्थी का कोई हिस्सा नहीं था फिर अपीलार्थी को 0.15 हैक्टेयर दे दी जब कि मेरे हिस्से में बटवाडे में जो प्रस्तावित था उस अनुसार बंटवाडा नहीं कर विद्वान तहसीलदार महोदय ने तकनीकी भूल की है। उक्त जमीने बेश कीमती होकर मौके पर हमने जो बंटवाडा आपसी सहमति से पेश किया उसी अनुरुप काबिज कर रिकार्ड में गलत बंटवाडा कर दिया जो उसी अनुसार दर्ज हो गया। बंटवाड़े से पहले का नक्शा था उसी पर पटवारी साहब ने दिनांक 17.05.2023 को हमारे हस्ताक्षर कराये जिसमें बंटवाड़ा नहीं किया था और ना ही बंटवाड़े के समय तहसीलदार एवं पटवारी ने मौके पर भौतिक सत्यापन ही नहीं किया और रिकार्ड में बंटवाड़ा कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। यदि मौके पर भौतिक सत्यापन करते तो ये विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। बंटवाडा किया उस अनुरुप मेरी आराजीयात नंबर 5016/3051 रकबा 0.15 हैक्टेयर जिसमें रास्ता ही नहीं और पिछवाड़े दे दी आराजी नंबर 5014/3053 रकबा 0.12 हैक्टेयर में मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है और अब प्रत्यर्थीगण अपनी आराजीयात में होकर जाने ही नहीं देते है और मुख्य मार्ग पर प्रत्यथीगण की आराजीयात बटवाडे में आने से अपीलार्थी के हिस्से पिछवाड़ी जमीन आई जिससे कीमतों में भी बड़ा अन्तर है और समानता का बंटवाडा नहीं हुआ जिससे मुझ अपीलार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। जिन आराजीयात में मेरा हिस्सा ही नहीं है। आराजी नंबर 3051 में रकबा 0.15 हैक्टेयर जमीन दे दी जिससे प्रत्यर्थीगण के तो एक चक बन गया और मेरे भिन्न–भिन्न जगह दे दी जिससे मुझे नुकसान हो रहा है। मेरे बटवाडे में आई वो जमीन तलाई के पास होकर बीड़ जमीन है और बंजर जमीन है जिससे मुझ अपीलार्थी की फसल भी नहीं होती है जब कि प्रत्यर्थीगण ने काश्त योग्य जमीन अपने हिस्से में रख ली जिससे मुझ अपीलार्थी को नुकसान कारित होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बस्सी का निर्णय दिनांक 17.05.2023 को अपास्त किया जावे एवं पारिवारिक बंटवाडा पुनः भौतिक सत्यापन कर विधिवत कब्जे अनुसार बटवाड़ा किया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली का वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 17.05.2023 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपसी पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 के आधार पर सहमति से विभाजन चाहा गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर उक्त आपसी पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि आपसी पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 19.04.2023 कीमती 100/– रूपये के स्टॉम्प पर अंकित किया जाकर वास्ते कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मूल अभिलेख एवं अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मूल अभिलेख एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20.12.2023 में भिन्नता है। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मूल अभिलेख में पक्षकारान द्वारा सहमति विभाजन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में संलग्न के पैरा संख्या 3 में स्टॉम्प रूपये 100 अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि में उक्त आवेदन–पत्र में संलग्न के पैरा संख्या 3 में स्टॉम्प रूपये ..... अंकित है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि मूल अभिलेख ''टैम्पर'' किया गया है। मूल अभिलेख टैम्पर किस स्तर पर किया गया है, यह जांच का विषय है, किन्तु न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि पक्षकरान द्वारा सहमति विभाजन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में संलग्न के पैरा संख्या 3 में '100' अंकित नहीं था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभिलेख में हुये टैम्पर के संबंध में जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करावें एवं न्यायालय हाजा के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है, न्यायालय के रिकार्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु पर्याप्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को पत्रावली पर प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है।

इसके साथ ही उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त पारिवारिक विभाजन के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन अथवा इबारत अंकित नहीं की गई है। इसके साथ ही विभाजन हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर इस तथ्य की पुष्ठि करते है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत् उभयपक्ष सहमत रहे है। इसके साथ ही आवेदन–पत्र में अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हल्का पटवार रिपोर्ट अनुसार खातेदार कृषकों की आपसी रजामंदी होने से तथ मूल खाते में दर्ज समस्त कृषकों की विभाजन–पत्र में होने से विभाजन स्वीकार योग्य है। स्पष्ट अंकित किया गया है एवं यह तथ्य उपरांकित संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित है। उक्त रिपोर्ट पटवारी पर दिनांक 17.05.2023 अंकित है एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बस्सी द्वारा दिनांक 17.05.2023 को ही प्रमाणिकरण किया गया है। जिस पर तहसीलदार बस्सी द्वारा स्वीकृत दिनांक 17.05.2023 को प्रदान की गई है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में इस तथ्य को उठाया गया है कि प्रत्यर्थीगण के तेा एक चक बन गया है और अपीलार्थी के भिन्न–भिन्न जगह आई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से जाहिर होता है कि विभाजन से कायम किये जाने वाले नवीन खाते में प्रत्येक खातेदारान के विभाजित होने वाली भूमि एक चकबंदी ही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार से कोई बेतरतीबी प्रतीत नहीं होती है, इसके साथ ही उक्त नक्शें से यह तथ्य भी प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात के विभाजन के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी द्वारा हस्तगत विभाजन किये जाने में किसी भी प्रकार से विभाजन नियमों की किसी भी प्रकार से कोई अनदेखी/त्रुटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने से यह तथ्य प्रतिवेदित होता की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2023 में किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है तथा आदेश दिनांक 17.05.2023 में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर संपुष्ट किये जाने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में प्रारम्भिक आपत्ति एवं मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। प्रश्नगत आराजीयात के खातेदारान उभयपक्ष है। जिस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 17.05.2023 से व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई है। जहां तक प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति के माध्यम से यह आदेश 41 नियम 01 व 02 का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 01 व 02 में मूल डिक्रियों की अपील के संबंध में प्रावधान विधि अनुसार प्रावधित किये गये है। आदेश 41 नियम 01 में अपील के प्रारूप एवं ज्ञापन की अंतर्वस्तुएं तथा नियम 02 में अपील के आधारो के प्रावधान प्रावधित है। इसके साथ ही हस्तगत अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित किया गया है, जिसकी प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारित इस न्यायालय को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर पोषणीय पाया जाता है। इसके साथ ही आपसी सहमति के आधार पर हुए निर्णय के विरूद्ध अपील की पोषणीय का तथ्य प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा सहमति अनुरूप निर्णय नहीं होना अवगत कराया गया है एवं यह तथ्य गुणावगुण में ही तय किया जा सकता है, एवं उपरांकित विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुणावगुण पर बलहीन होना पाई गई है। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक आपत्तियों के संबंध में न्यायालय सुसंगत विवेचन कर चुका है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2023 को जानकारी होना अवगत कराया है, एवं निर्णय दिनांक 17.05.2023 की जानकारी नहीं होने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस अभिवचन/कारण प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि हस्तगत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2023 पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील जानकारी में आये जाने के उपरांत भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार से कोई अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसके साथ ही उपरांकित विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी गुणावगुण पर भी बलहीन एवं सारहीन पाई गई है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन आदेश/निर्णय दिनांक 17.05.2023 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक/वैधानिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किये जाने से अपील अपीलार्थी बलहीन एवं सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं मौजा बस्सी तहसील बस्सी के खाता संख्या 800 के सहमति विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2023 की पुष्ठि की जाती है।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे एवं तहसीलदार बस्सी को निर्णय की प्रति वास्ते सूचनार्थ भिजवाई जावे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.03.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official